

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा  
डिक्री


दिनांक :- 16/12/25

वादी की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अनिल कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

चक 3 एलबीएम के खाता संख्या 58/45 में वादी जैसाराम पुत्र अर्जन हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल साकिन बडोपल खातेदार का नाम देशराज पुत्र अर्जुनराम किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

()  
(सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

